समाचार

अवैध रूप से लगी विज्ञापन सामग्रियों को हटाने 07 दिवस का अल्टीमेटम

(शासकीय भूमि, विद्युत पोल व सार्वजनिक स्थानों आदि पर बिना अनुमति अवैध विज्ञापन बोर्ड पोस्टर लगाने पर होगी कार्यवाही)

(आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने की लोगों से अपील, बिना अनुमति न लगाएं विज्ञापन बोर्ड आदि)

कोरबा 21 फरवरी 2022 – निगम की बिना अनुमति के शासकीय भूमि, विद्युत पोल एवं सार्वजनिक स्थानों पर बांस बल्ली व अन्य संसाधनों के माध्यम से अवैध रूप से विज्ञापन बोर्ड, पोस्टर आदि लगाने पर नगर निगम कोरबा द्वारा संबंधित के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित करते हुए नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने सर्वसंबंधितों से अपील करते हुए कहा है कि वे बिना अनुमति विज्ञापन बोर्ड आदि न लगाएं तथा लगाए गए अवैध प्रदर्शनों को 07 दिवस के भीतर हटा लेवें।

यहॉं उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत आमनागरिकों तथा विभिन्न संस्थानों, प्रतिष्ठानों, व्यापारीबंधुओं आदि के द्वारा निगम की अनुमति के बगैर शासकीय भूमि, विद्युत पोल एवं सार्वजनिक स्थानों पर बांस बल्ली व अन्य संसाधनों के माध्यम से अवैध विज्ञापन का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उप–विधियॉं 2012 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने सर्वसंबंधितों से अपील करते हुए कहा है कि वे निगम की अनुमति के बगैर शासकीय भूमि, विद्युत पोल व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बांस बल्ली एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से अवैध विज्ञापन का प्रदर्शन न करें, वहीं वर्तमान में शहर के जिन स्थानों पर बांस बल्ली लगाकर अवैध प्रदर्शन किया गया है, उसे 07 दिवस के भीतर हटा लेवें अन्यथा निगम द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुए संबंधितों के विरूद्ध नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।